वर्तमान में संचालित गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन :–

1. सेवा में भर्ती उपरांत प्रशिक्षण

(1.1) सहायक वन संरक्षक

वर्ष 2012–13 में 12 सहायक वन संरक्षकों की सीधी भर्ती की गई। दिनांक 01.09.2012 से 10 सहायक वन संरक्षकों को प्रशिक्षण हेतु देहरादून में भेजा गया है।

(1.2) वनक्षेत्रपाल

वर्ष 2012–13 में 54 वनक्षेत्रपालों की सीधी भर्ती की गई है। सीधी भर्ती किये गये वनक्षेत्रपालों को भारत सरकार से प्राप्त सीटों के अनुरुप निम्नानुसार संस्थाओं में 18 माह के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है :–

क्र.	संस्था का नाम	सत्र्	दिनांक	आबंटित सीट	उपस्थिति संख्या
1	वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी	2013–14	01.01.13	13	11*
2	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	2013–14	01.02.13	40	34
3	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	2012–14	08.07.12	09	07

*वर्ष 2010 में चयनित 2 उम्मीदवारों को भेजा गया है।

(1.3) वनरक्षक / वनपाल प्रशिक्षण :–

वर्ष 2008 में क्रमशः 2241 भर्ती किये गये वनरक्षकों में से शेष अप्रशिक्षित वनरक्षक एवं वर्ष 2012 में 1684 भर्ती किये गये वनरक्षकों में से अप्रशिक्षित वनरक्षकों का 06 माह का प्रशिक्षण प्रदेश के 08 वन विद्यालयों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विद्यालयों में 45 दिवस का वनपाल प्रशिक्षण भी आयोजित है, जिसकी उपस्थिति एवं आबंटन ि म्नानुसार है :–

वन विद्यालय में वन रक्षक/वनपाल प्रशिक्षण

वन विद्यालय	आवंटन				उपस्थिति	
	वनरक्षक		वनपाल		वनरक्षक	वनपाल
	सत्र	संख्या	सत्र	संख्या		
वन विद्यालय शिवपुरी	01.04.12	100	15.05.12	25	54	10
	01.10.12	101	15.07.12	25	97	20
			15.09.12	25	-	13
			15.11.12	25	-	16
	-	-	15.01.13	25	-	11
	-	-	15.03.13	25	-	16
राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन	01.04.12	50	15.05.12	25	50	20
	01.10.12	30	15.07.12	25	27	27
			15.09.12	25	-	23
			15.11.12	25	-	22
	-	-	15.01.13	25	-	18
	-	-	15.03.13	25	-	17
वन विद्यालय झाबुआ	01.04.12	35	15.05.12	25	35	18
	01.10.12	36	15.07.12	25	36	09
			15.09.12	25		20
			15.11.12	25		15
	-	-	15.01.13	25	-	19
	-	-	15.03.13	25	-	08
जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला,उमरिया	01.04.12	30	15.05.12	20	30	11
	01.10.12	22	15.07.12	20	22	14
			15.09.12	20		18
			15.11.12	20		16
	-	-	15.01.13	20	-	18
	-	-	15.03.13	20	-	14
वन विद्यालय बैतूल	01.04.12	87	15.03.11	25		22
	01.10.12	40	15.05.12	25	87	19
			15.07.12	25	40	16

			15.09.12	25		18
	-	-	15.11.12	25	-	20
	-	-	15.01.13	25	-	14
	-	-	15.03.13	25	-	18
वन विद्यालय अमरकंटक	01.04.12	100	15.05.12	25	84	27
	01.10.12	107	15.07.12	25	107	22
			15.09.12	25		27
			15.11.12	25		20
	-	-	15.01.13	25	-	09
	-	-	15.03.13	25	-	29
वन विद्यालय पचमढ़ी	01.04.12	40	15.05.12	25	40	20
	01.10.12	28	15.07.12	25	28	18
			15.09.12	25		11
			15.11.12	25		15
	-	-	15.01.13	25	-	14
	-	-	15.03.13	25	-	17
वन विद्यालय गोविंदगढ़	01.04.12	50	-	-	50	-
	01.10.12	43	-	-	43	-
योग		**899**		**1045**	**830**	**749**

वन विद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण

(1.4) पदोन्नत वनक्षेत्रपाल –

वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में पदोन्नत वनक्षेत्रपालों को 06 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीट आबंटन एवं प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक उपस्थिति निम्नानुसार है :–

अवधि	सीट आबंटन	उपस्थिति
अप्रैल 2012	50	12
मई 2012	50	13
जून 2012	50	11
जुलाई 2012	50	10
अगस्त 2012	50	03
सितम्बर 2012	50	08
अक्टूबर 2012	50	10
नवम्बर 2012	50	11
दिसम्बर 2012	50	07
जनवरी 2013	50	11
फरवरी 2013	50	10
मार्च 2013	50	12
योग	**600**	**118**

(1.5) रिफ्रेशर कोर्स (डी.एफ.ई. देहरादून द्वारा प्रायोजित)

वन महाविद्यालय बालाघाट को छोड़कर अन्य सभी वन विद्यालयों में वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून द्वारा प्रायोजित 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जाता है। वर्ष 2012–13 में 450 अग्रिम पंक्ति (वनरक्षक / वनपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल) कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

2. सेवा के दौरान प्रशिक्षण –

(2.1) भारतीय वन सेवा –

- भा.व.से.अधिकारियों हेतु एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय कार्यशाला भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।
- वर्ष 2012–13 में कुल 260 भा.व.से. अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(2.2) सहायक वन संरक्षक –

- भारत सरकार के संस्थानों तथा अन्य सम्बंधित संस्थाओं में समय–समय पर सहायक वन संरक्षक हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
- वर्ष 2012–13 में कुल 55 स.व.सं. अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. मुख्य प्रशिक्षण संस्थान :–

इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में वनक्षेत्रपाल, सहायक वन संरक्षक एवं भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रमुख संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है:–

(3.1) राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा संचालित

- State Forest Service College, Dehradun
- State Forest Service College Coimbatore (Tamil Nadu)
- Eastern Forest Rangers College, Kurseong
- Central Soil and water conservation institute, Dehradun
- Wild life Institute, Dehradun

(3.2) राज्य के भीतर :–

- भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल तथा विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आर0सी0वी0पी0 नरोन्हा अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। वर्ष 2012–13 में कुल 142 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण। वर्ष 2012–13 में कुल 3 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4. दैनिक वेतन भोगियों से सम्बंधित कार्य :–

- श्रमिकों की सेवा से सम्बंधित मुद्दों/न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा का कार्य इस कक्ष से सम्पादित किया जाता है।
- उच्च न्यायालय में 33 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के 06 प्रकरणों एवं श्रम न्यायालय के 31 प्रकरण पर जवाबदावा प्रस्तुत किये गये हैं।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से संबंधित जन शिकायत निवारण/माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय/मा.वन मंत्री/मा सांसदों /मा.विधायकों से प्राप्त पत्रों का निराकरण किया जाता है।
- वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी 8826 कार्यरत थें। इनमें से 1321 की वनरक्षक पद पर नियुक्त किये गये है।
- वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	कुल दै.वे.भो. श्रमिकों की संख्या वर्ष 2010 की स्थिति में	कुल दै.वे.भो. श्रमिकों की संख्या वर्ष 2013 की स्थिति में
1	बालाघाट	532	533
2	बैतूल	293	279
3	भोपाल/वन विहार	419	192
4	सीहोर	175	83
5	रायसेन	300	173
6	राजगढ़	37	15
7	विदिशा	103	32
8	छतरपुर	174	171
9	टीकमगढ़	49	49
10	पन्ना	344	344
11	छिंदवाड़ा	370	354
12	ग्वालियर	131	123

13	श्योपुर	92	90
14	मुरैना	74	79
15	भिण्ड	43	45
16	दतिया	59	56
17	होशंगाबाद	274	260
18	हरदा	115	112
19	इंदौर	135	143
20	धार	25	25
21	झाबुआ	30	29
22	अलीराजपुर	20	20
23	जबलपुर	255	242
24	मण्डला	459	664
25	डिण्डौरी	186	179
26	कटनी	103	101
27	खण्डवा	100	100
28	बुरहानपुर	36	36
29	खरगौन	89	84
30	बड़वानी	58	58
31	रीवा	209	184
32	सतना	159	82
33	सीधी	186	66
34	सिंगरौली	96	98
35	सागर	292	295
36	दमोह	226	224
37	सिवनी	367	351
38	नरसिंहपुर	66	71
39	शहडोल	151	159
40	उमरिया	290	286
41	अनूपपुर	49	47
42	शिवपुरी	287	290
43	गुना	193	198
44	अशोकनगर	27	26

45	उज्जैन	36	38
46	शाजापुर	24	25
47	रतलाम	25	25
48	मंदसौर	30	28
49	नीमच	20	20
50	देवास	134	125
51	मुख्यालय	42	42
	योग	**7989**	**7351**

5. बजट :–

➢ मानव संसाधन शाखा को आबंटित बजट एवं आर्थिक उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य (लाख में)	आर्थिक उपलब्धि (लाख में)
2010–11	**100.00**	**91.19**
2011–12	**96.49**	**96.43**
2012–13	**472.50**	**452.38**

6. प्रशिक्षण कैलेण्डर –

➢ वर्ष 2012–13 हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया गया तथा आयोजना मद 7882, 2723, 6397 के अन्तर्गत आबंटित राशि रु. 367.00 के विरूद्ध 13438 वनरक्षक से वनक्षेत्रपाल स्तर तक के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

7. JICA प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन :–

➢ वर्ष 2003–04 राज्यों के वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण की विषय वस्तु दोनों में सुधार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु JICA (Japan International Cooperation Agency) दोनों के मध्य 13 जून 2008 को अनुबंध हुआ, जिसके तहत कुल रु. 225 करोड़ की परियोजना में यह तय हुआ कि JICA द्वारा रु. 206.03 करोड ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष राशि (प्रशासनिक व्यय के रुप में) केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। ऋण चुकाने का सम्पूर्ण दायित्व भारत सरकार का होगा एवं राज्य को यह राशि अनुदान के रुप में प्राप्त होगी। परियोजना की अवधि 5 वर्ष 3 माह (जून 2015 तक) है। म0प्र0 वन विभाग के अन्तर्गत संचालित 4 वन विद्यालयों बैतूल, अमरकंटक, शिवपुरी एवं लखनादौन (सिवनी) में इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

➢ **म0प्र0 में परियोजना का क्रियान्वयन** – 4 वन विद्यालयों में JICA (जायका) प्रोजेक्ट के तहत बनायी जाने वाली संरचनाओं तथा पूर्व से ही विद्यमान संरचनाओं में सुधार हेतु डी.पी.आर. तैयारी के लिये आर्किटेक्ट की नियुक्ति की गई। डी.पी.आर की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। वन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की विषयवस्तु में सुधार लाने हेतु सलाहकार की नियुक्ति अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है :–

वन विद्यालय नाम	विद्यालयवार डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि	भारत सरकार द्वारा डी.पी.आर. स्वीकृत करने की तिथि		(एस.एफ.डी.ए. के खाते में) प्राप्त राशि का विवरण
		तिथि	राशि	
वन विद्यालय बैतूल	1028 03.04.2012	14-41/2003-RT Dt. 11.05.12	708.38	566.70 (80% amount release)
वन विद्यालय अमरकंटक	1229 30.04.2012	14-41/2003-RT Dt. 02.07.12	749.95	599.96 (80% amount release)
वन विद्यालय शिवपुरी	1391 14.05.2012	14-41/2003-RT Dt. 01.08.12	499.24	399.38 (80% amount release)
वन विद्यालय लखनादौन	1223 30.04.2012	14-41/2003-RT Dt. 02.07.12	749.67	599.96 (80% amount release)
वन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की विषयवस्तु में सुधार लाने हेतु सलाहकार	2867 22.09.2012	14-41/2003-RT Dt. 28.03.13	43.35	21.675 (50% amount release)
योग			**2750.59**	**2187.68**

➢ भारत सरकार से वन विद्यालयों हेतु राशि रुपये 20,45,79,45/– एस.एफ.डी.ए.के खाते में प्राप्त हुई, जिस पर प्राप्त ब्याज की राशि मिलाकर कुल राशि रु. 21,72,02,545/– वन विद्यालयों के खाते में जमा किया गया है । इस राशि पर प्राप्त माह जून 2013 तक ब्याज, जमा राशि तथा माह सितम्बर 2013 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वन विद्यालय का नाम	वन विद्यालयों में प्रेषित राशि (रु. में)	जमा राशि पर जून 2013 तक ब्याज (रु. में)	माह सितम्बर 2013 तक कुल व्यय (रु में)
1	वन विद्यालय अमरकंटक	5,99,56,298	21,89,213	1,02,63,746
2	वन विद्यालय लखनादौन	6,03,58,851	15,80,929	66,62,053
3	वन विद्यालय शिवपुरी	3,99,38,816	17,09,654	46,56,785
4	वन विद्यालय बैतूल	5,69,48,580	15,37,060	1,81,35,394
	कुल योग	**21,72,02,545**	**70,16,856**	**3,97,17,978**

➢ **परियोजना की वर्तमान स्थिति** :– परियोजना के कार्यो का प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

- परियोजना की अवधि – जून 2015 तक
- परियोजना की कुल लागत – रु. 2750.58 लाख
- मार्च 2013 तक कुल व्यय – रु. 105.41 लाख

- सितम्बर 2013 तक कुल व्यय – रु. 397.18 लाख
- मार्च 2014 तक व्यय का लक्ष्य – रु. 1152.23 लाख
- म.प्र. द्वारा परियोजना पूर्ण करने की संभावित तिथि – मार्च 2015
- परियोजना की समाप्ति की अवधि जून 2015 तक है। समस्त वन विद्यालयों के नव निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य जून 2014 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे । वन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की विषयवस्तु में सुधार लाने हेतु सलाहकार द्वारा दिसम्बर 2014 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं आगामी सत्र से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया जायेगा।

  इस प्रकार परियोजना का समस्त कार्य परियोजना समाप्ति के 3 माह पूर्व (मार्च 2015 तक) पूर्ण कर लिये जायेंगे।

8. आजीविका हेतु कौशल विकास कार्यक्रम :–

मध्यप्रदेश के 63 क्षेत्रीय वनमंडलों, 1 वन्यप्राणी वनमंडल एवं 6 बाघ परियोजना क्षेत्र सहित कुल 70 क्षेत्रीय इकाईयों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । समस्त वनमंडलों में प्रशिक्षण का कार्य संचालित है और वर्ष 2013–14 में 17000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

1.5.7 सूचना प्रौद्योगिकी

1. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) –

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए पिछले वर्षो में कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की है। इनमें से फारेस्ट फायर एवं मेसेजिंग सिस्टम (FAMS), फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS), वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम (WLMS) फारेस्ट एम्पलाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (FEDMS) प्रमुख है। इन सभी एप्लीकेशन का उपयोग विभाग के फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा है। इनके अलावा प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम (PMS), माइनिंग मानिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन भी विकसित की गयी है। PMS एप्लीकेशन द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में किये गये वृक्षारोपण एवं लगाये गये पौधो की जानकारी रख मानिटरिंग की जा सकती है। MMS द्वारा स्वीकृत समस्त खदानों की जियो मैपिंग कर इमेजरी की मदद से देखा जा सकता है।

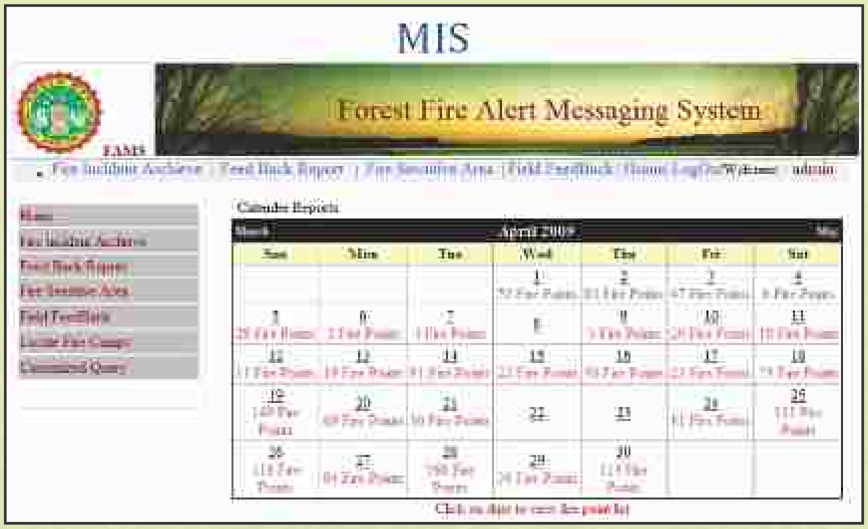

वन अग्नि सचेतक संदेश प्रणाली

एकीकृत भूमि मानचित्रण एवं निगरानी प्रणाली

वर्तमान में कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ई–ऑक्शन, कूप मार्किंग एवं रिकार्डिगं, आडिट मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल ट्रैनिंग सिस्टम, जियो मैपिंग और इमेज एनालिसिस सिस्टम (GMEAS), सी.आर.मैनेजमेंट सिस्टम आदि के विकास का कार्य अन्तिम स्टेज पर है। ई–ऑक्शन एप्लीकेशन की सहायता से इमारती लकड़ी की नीलामी में कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग से नीलामी में भाग ले सकेगा। उन्हें इसके लिए नीलाम डिपों में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

2 जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)–

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है एवं ये डिजीटल नक्शो के रूप में संग्रहित है।

समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार कर लिया गया है इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग Geo Forest, application के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी उपयोग कर सकते है।

3 विभागीय डाटा सेंटर एवं कम्प्युटर आधारित संचार व्यवस्था की स्थापना –

विभागीय आंकडो के सुरक्षित भण्डारण एवं संसाधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डाटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जुडा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुडकर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते है। आंकड़ो का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एंव डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है। विभागीय डेटा सेंटर में आधुनिक तकनीक के आधार पर Quad Core Processor based सर्वर (20) एवं High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-2), Network Attached Storage (12TB) RAID-V Configured स्थापित हैं। जी.आई.एस. एवं रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में सेटेलाईट डेटा के संग्रहण हेतु High Storage Capacity Storage Area Network (SAN-100TB) एवं 8 Core Processor based सर्वर (2) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विभागीय डेटा सेंटर को High bandwidth BSNL 10Mbps Leased Line के माध्यम से जोड़ा गया है। डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक थ्पतमूंसस तकनीक का उपयोग किया गया है। विभागीय डेटा सेंटर को माह फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डेटा सेंटर में स्थानांतरित किया जा चुका है जिसका प्रबंधन एवं रखरखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा किया जा रहा है।

4. एडूसेट नेटवर्क –

वानिकी क्षेत्र को तेजी से बदलने परिदृश्य में उत्कृट नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त

आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है।

भोपाल में स्थित एजुसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रशिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रशिक्षण देते है बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते है। इससे विभाग की प्रशिक्षण क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है।

5. विडियों कान्फ्रेसिंग सुविधा–

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियों कार्न्फेसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं विभागीय प्राथमिकता के अन्तर्गत कार्यो की त्वरित रूप से क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते है तथा विभिन्न कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

6. सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन –

केन्द्र शासन से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की 113 KVA एवं 900 KVA परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प, वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1kw, 5 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे इन कार्यालयों में लगतार बिजली की उपलब्धता एवं कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान वरिष्ठ कार्यालयों में निरन्तर रहेगा जिससे विभागीय कार्यो के प्रबंधन एवं मानिटरिंग सुचारु रुप से हो सकेगी।

7. वायरलैस ब्राडबैंड नेटवर्क

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों – परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी पर 105 Canopy, Radio link का उपयोग करके वायरलेस ब्राडबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया है।

8. अन्य :

(i) केन्द्र शासित योजना ''बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ, दतिया जिलों के वाटरशेड के नक्शों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ii) वन क्षेत्रों एवं वाटरशेड क्षेत्रों का एकीकृत मानचित्र तैयार कर तथा मानचित्र पर वाटरशेड में हुए विकास कार्यो का अंकन प्रगति पर है।

(iii) विभाग द्वारा उच्च तकनीक युक्त हैन्ड सेट (पी.डी.ए. विथ जी.पी.एस.) क्रय किये गये है जिनमें विभिन्न एप्लीकेशन अपलोड कर मैदानी अमले को प्रदाय किये जा रहे है जिसमें विभिन्न कार्य जैसे मुनारे, वन सीमा, प्लान्टेशन, क्षेत्र वन अपराध इत्यादि की सही जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगी।

9. विभागीय प्रयासों की मान्यता –

वन विभाग में सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किये गये प्रयासों की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन द्वारा सराहना की गई है। विभाग को "Digital Empowerment Foundation" का South Asia "Manthan Award" भारत शासन का "National Governance Award(Gold)", NIC का "Web-ratna Award Gold Icon Award" एवं Geo Spatial Award प्राप्त हुआ है।

10. वित्तीय उपलब्धि –

वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में सूचना प्रौद्योगिकी आवंटन एवं व्यय की जानकारी तालिका में दर्शित है।

क्र.	बजट मद	2012–13	
		आवंटन (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)
1	योजना शीर्ष 3877–12 मजदूरी	24.00	19.00
2	आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना (5317)	10.00	9.33
3	प्रशासन सुदृढीकरण	46.50	40.78
4	प्रशिक्षण	1.35	–

क्र.	बजट मद	मास	2013–14	
			आवंटन (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)
1	10–2406–7882	प्रथम त्रैमास	210.00	101.00
2	51 अन्य प्रभार	द्वितीय त्रैमास	159.00	141.00

1.5.8 वन्यप्राणी संरक्षण

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 08 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्तप्रायः पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव; खरमोर के संरक्षण के लिये सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये हैं। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले में घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में ''डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग'' स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त मुंकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के लिए टाइगर सफारी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्य प्राणी प्रजातियॉं हैं। वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंध हेतु अनेक विशिष्ट प्रयास जारी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

वन्यप्राणी (गौर) संरक्षण

वन्यप्राणी संरक्षण

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्य है। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ बसाहटों में भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिये 09 रेस्क्यू स्क्वॉड गठित किये गये हैं। वन्यप्राणियों के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 02 श्वानों तथा उनके 04 हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर इटारसी एवं जबलपुर में रखा गया है।

मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे ग्रामों में इको पर्यटन विकास बार्ड के माध्यम से विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वन सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में वन्यप्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने पर तथा कृष्णमृग एवं नीलगाय द्वारा 05 कि.मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों में भी फसल हानि किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान राजस्व अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय–सीमा में राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिये गये प्रावधानों अनुसार किया जाता है। वर्ष 2013–14 से इस हेतु राजस्व विभाग के बजट में ही प्रावधान उपलब्ध है।

वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तथा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार वनाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भुगतान किया जाता है।

किसी भी वन्यप्राणी (सांप व गुहेरा को छोड़कर) द्वारा जन हानि किये जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गांरटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है जिनके लिये क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः रू0 1.50 लाख एवं इलाज पर हुये व्यय (जनहानि), घायल होने पर रू0 30000/– अधिकतम, स्थाई रूप से अपंग होने पर रू0 100000/– एवं इलाज पर हुये व्यय तथा पशुहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है।

संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामों का व्यवस्थापन किया जाता है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभ में 821 ग्राम थे, जिनमें से 118 गांव विभाग द्वारा अभी तक पुर्नस्थापित कर वन्यप्राणियों के लिए अतिरिक्त भूमि हासिल की गई है। शेष 727 ग्रामों में से 194 ग्रामों को enclave के रूप में रखा जाना तथा 424 ग्रामों को संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा पुनर्वास हेतु चयन किये गये ग्रामों में से अभी 105 ग्रामों का विस्थापन शेष है।

वन्यप्राणी संरक्षण की दिशा में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है तथा प्रदेश सरकार भी इस कार्य हेतु राज्य योजना बजट से राशि उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2012–13 में माधव राष्ट्रीय उद्यान के गतवाया, संजय टाइगर रिजर्व के कंजरा, ओरछा अभयारण्य के सिंगपुरा तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के झोला, चूरना, कांकड़ी, बदकछार, घोड़ानाल, बिरजीखापा, पटन, कांजीघाट, खामखेड़ी के विस्थापन हेतु रू0 84.31 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी इस कार्य हेतु रू0 120 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं।

वन्यप्राणियों की संख्या का आंकलन

बाघों, सह परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रथम आंकलन वर्ष 2006 में तथा द्वितीय आंकलन वर्ष 2010 में किया गया था। वर्ष 2010 के आंकलन के अनुसार प्रदेश में 12709 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति पाई गई थी एवं उक्त आंकलन के अनुसार प्रदेश में बाघों की औसत संख्या 257 (213–301) अनुमानित थी। तृतीय आंकलन वर्ष 2014 में किया जाना है, जिसके लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य वर्तमान में चल रहा है।

प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफरजोन की अधिसूचना

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित (2006) की धारा 38V (4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट या कोर क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र है, जहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में कम प्रतिबन्धों की आवश्यकता होती है एवं यह क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की समग्रता के लिये आवश्यक है। मध्यप्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के पूर्व से घोषित बफर क्षेत्र में वृद्धि करते हुये वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत नवीन अधिसूचना जारी की गई है।

इसी प्रकार बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच एवं संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र वर्ष 2010–2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की अधिसूचना अगस्त 2012 में जारी की गई है। 05 टाइगर रिजर्व में क्रिटीकल टाइगर हेबीटेट पूर्व से ही अधिसूचित है। इस प्रकार समस्त 06 टाइगर रिजर्व के क्रिटीकल टाइगर हेबीटेट एवं उनके बफर जोन क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके है। समस्त बफर जोन क्षेत्र संचालकों के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत लाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध

टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है। इस प्रयासों को निरंतर रखने हेतु राज्य शासन के संकल्प 2013 के बिन्दु क्रमांक 30 के क्रियान्वयन के लिए एक नवीन योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पुरस्कार योजना

वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार संस्थापित किये गये हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/सहा.वन संरक्षक स्तर के लिये 01, वन क्षेत्रपाल स्तर के लिये 01 तथा उप वन क्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक स्तर के लिये 04 पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि रू0 50 हजार है। पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें 06 अधिकारी और 06 अशासकीय सदस्य हैं।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा, अनुश्रवण एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उपपरिवर्णित तीन वर्गों में कुल 38 लोगों को वर्ष 2013 के पुरस्कार हेतु प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया गया। चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्यप्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम के दौरान दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों में 01 वनमण्डलाधिकारी, 01 सहायक वन संरक्षक, 01 सहायक संचालक, 01 उप वनमण्डलाधिकारी, 02 वन क्षेत्रपाल, 03 वनपाल एवं 03 वनरक्षक शामिल है।

पशु चिकित्सकों की नियुक्ति

संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सको के पृथक कैडर की अनुमति प्राप्त की गई है।

सिंह पुर्नवास कार्यक्रम

एशियाई सिंहों के पुर्नवास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभयारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। गुजरात के गिर अभयारण्य से सिंहों के पुर्नस्थापन की अनुमति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। दिनांक 15.04.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यह कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक श्री वाय.वी. झाला एवं श्री रवि चेल्लम द्वारा इस संबंध में एक कार्य योजना भी तैयार की जा चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत सिंह पुर्नस्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार पुर्नस्थापन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप विगत वर्षो में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2012 के अनुसार पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित होने से वर्ष 2012–13 में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय निम्न तालिका अनुसार है।

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (लाख)	अर्जित आय (लाख रूपये)
2010–11	12.08	1541.16
2011–12	13.07	1996.70
2012–13	09.42	1450.07

1.6 सामान्य / प्रमुख विशेषतायें

महिलाओं के लिए किए गये कार्य

वन विभाग की नीतियों व योजनाओं में महिलाओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य की महिला नीति का पालन किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा मुख्यालय में महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में कार्यालय में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय में विषय से संबंधित शिकायत पेटी स्थापित है। इसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई है।

विभाग में वन रक्षकों के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग में चल रहे क्षेत्रीय कार्यों के लिए श्रमिकों के नियोजन में भी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भी महिलाओं को महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश में गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त वन समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है तथा प्रदेश की समस्त वन समितियों में से एक तिहाई समितियों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गए हैं।

विभाग द्वारा संचालित संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत म.प्र. शासन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की कंडिका–6–3 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति में 33 प्रतिशत महिला सदस्य रखे गये हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित है।

म0प्र0 ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा चिन्हांकित ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को पारंपरिक एवं अभिनव शिल्प कला जैसे पेपर मैशे, बांस एवं लकड़ी आधारित शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत देलावाड़ी के स्व सहायता समूहों की 10 महिलाओं को पेपर मैशे मास्क तैयार करने का प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा दिलाया गया। अगस्त 2011 में देश में प्रथम बार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 13 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 1 माह का गाइड प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं से रोस्टर आधार पर कार्य लिया जा रहा है तथा इसका फीडबैक संतोषजनक है।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडल में कुल 15 सदस्यों मे से 11 निर्वाचित संचालक रहते है, जिसमे से 02 महिला संचालक का होना अनिवार्य किया गया है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मंडल में कुल 16 सदस्य होते है, जिसमें से 10 निर्वाचित होते है। इनमें भी 02 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में नियुक्त फड़ मुंशियों में से यथा–संभव 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश भी क्षेत्रीय कार्यालयो को दिये गये है ।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में संघ मुख्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु महाप्रबंधक (प्रशासन) की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया गया है ।

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा रोपणी कार्यो के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान में महिला वैज्ञानिक, महिला अनुसंधान अधिकारी तथा संस्थान के विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में योग्य महिलाओं को अनुसंधान अध्येत्ता के रूप में उपयुक्त स्थान दिया गया है। वर्तमान में संस्थान में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के तहत् 8 महिला शोधकर्ता कार्यरत हैं। संस्थान में 2 महिला

वैज्ञानिक एवं 4 महिला अनुसंधान अधिकारी कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुल 5 महिला कार्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 15 महिला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान में कार्यरत महिलाओं के लिए मुख्यालय में मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। कूप का चिन्हॉकन, विदोहन, निस्तार एवं नर्सरी कार्यो हेतु रोजगार कार्यो में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओ को प्राप्त होता हैं, निस्तार जलाऊ का सीधा लाभ परिवार की महिलाओ को प्राप्त होता हैं। निस्तार में प्राप्त बांस व्यवस्था के अंतर्गत बांस के औजार, टोकनी, सूप, चटाई खिलौने आदि बन जाते हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियमः–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जन सेवाओं को समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु ''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010'' लागू किया गया है।

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवायें सम्मिलित की गई है। संबंधित सेवाओं के नाम, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की सूची एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा निम्नानुसार हैः–

सेवा क्रं	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उपसंचालक / सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु हानि हेतु राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी / संरक्षित क्षेत्र के उपसंचालक / सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक / संरक्षित क्षेत्र के संचालक

10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान । 1. डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना	1. शासकीय काष्ठागार हेतु कष्ठाागार अधिकारी/ परिक्षत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/ विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वन मंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी

विभाग द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑन लाईन होने के परिणाम स्वरूप इसका सतत् अनुश्रवण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं हेतु 44,928 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से 44,214 आवेदनों में सेवा उपलब्ध करायी गई, 420 आवेदन विभिन्न कारणों से अमान्य किये गये, एवं शेष 294 प्रकरण समय सीमा के अंदर प्रक्रियाधीन है।

1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

वनों का क्षेत्रफल

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल राजस्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार तालिकाओं में दर्शित हैं:–

देश की तुलना में मध्य प्रदेश के वन

	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	**वनक्षेत्र** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत वन क्षेत्र**
भारत	32,87,263	7,82,871	23.81
मध्य प्रदेश	3,08,245	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011)

प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

वर्गीकरण	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
योग	**94,689**	**100.00**

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011)

प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

वर्गीकरण	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
अति सघन वन	6,640	7
सघन वन	34,986	36
विरल वन	36,074	39
कुल वनाच्छादित क्षेत्र	77,700	82
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16,989	18
योग	**94,689**	**100**

1. ऐसे क्षेत्र, जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।
   (स्त्रोत : स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011)

प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

संरचना	**क्षेत्रफल** (वर्ग कि.मी.)	**प्रतिशत**
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
मिश्रित एंव अन्य	55436	58.49
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16989	18.00
योग	**94,689**	**100.00**

(बांस वनक्षेत्र 13059 वर्ग कि0मी0 अतिव्यापी क्षेत्र)

वनोपज का उत्पादन –

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। कार्य आयोजना के प्रावधानो के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता हैं। साथ ही वनोपज की ओद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनो के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती हैं। विगत तीन वर्षो में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन का विवरण तालिका में दर्शित हैं :–

काष्ठ उत्पादन

वर्ष	ईमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चट्टें (नग)
1.	2.	3.
2010–11	2,78,083	2,20,816
2011–12	2,43,357	2,04,227
2012–13	2,52,808	1,88,845

बांस एवं सागौन काष्ठागार

बांस उत्पादन

वर्ष	ओद्योगिक (नो. टन)	व्यापारिक बां (नो. टन)	योग (नो. टन)
1.	**2.**	**3.**	**4.**
2010–11	42,464	21,713	64,177
2011–12	51,906	24,008	75,914
2012–13	76,705	28,646	1,05,351

राजस्व प्राप्ति

वर्ष	प्राप्त राजस्व	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)
1.	**2.**	**3.**
2010–11	837.14	4.1
2011–12	871.25	4.1
2012–13	989.66	13.6
2013–14	614.56	–

(सितम्बर 2013 की स्थिति में)

निस्तार व्यवस्था –

राज्य शासन की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू हैं। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 05 कि0मी0 की परिधि में बसे परिवारो को ही दी गई हैं, जिन्हे घरेलू उपयोग के लिये बांस, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरो पर दी जाती हैं। इन वनोपजों की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपों संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही हैं। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हे रायल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता हैं। ऐसे बैगा आदिवासियों, जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया हैं। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका में दिया गया हैं।

निस्तार प्रदाय –

वर्ष	वनोपज का नाम	मात्रा (लाख रूपये में)	विक्रय मूल्य (लाख रूपये में)	बाजार मूल्य (लाख रूपये में)	दी गई रियायत (लाख रूपये में)
2011	बांस	55.17	462.88	959.46	
	बल्ली	01.73	178.57	283.09	1141.22
	जलाऊ चट्टो में	0.81	308.15	848.27	
2012	बांस	59.60	607.00	1155.00	
	बल्ली	01.45	145.00	215.00	1283.00
	जलाऊ चट्टो में	00.96	427.00	1092.00	
2013	बांस	60.03	670.11	1390.55	
	बल्ली	01.43	154.99	234.80	1414.67
	जलाऊ चट्टो में	00.91	470.91	1085.33	